



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्र संख्या

220

/राजपु080/RTI/दि080/2022

दिनांक

13/5/22

## कार्यालय आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रकरणों का अनुसूचन एवं समयबद्ध निस्तारण करने के उद्देश्य से इस सम्बन्ध प्रवर्तन जोन-2 एवं प्रवर्तन जोन-3 व सम्पत्ति जोन-6 के सम्बन्ध में पूर्व में जारी कार्यालय आदेश में आशिक संशोधन करते हुवे कार्यहित में नियमानुसार अधिनियम की धारा-5(1) के अन्तर्गत जनसूचना अधिकारी एवं अधिनियम की धारा-5 (2, 4, व 5) के अन्तर्गत जनसूचना अधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु सहायक जनसूचना अधिकारी उनके सम्मुख अंकित अनुभाग की सूचनाओं एवं सूचना अधिकार अधिनियम की धारा-19 (1) व 19(3) एवं 18 के अन्तर्गत दायर अपीलों को सुचारु रूप से निर्धारित समय अवधि में निस्तारण कराये जाने हेतु नामित किया जाता है। शेष जनसूचना अधिकारी/सहायक जनसूचना अधिकारी यथावत् बने रहेंगे।

क्र0सं0	सूचना देने के लिए नामित सूचना अधिकारी का अनुभाग	जनसूचना अधिकारी का नाम, पदनाम व मोबाईल/टेलीफोन नं0	सहायक जनसूचना अधिकारी का नाम, पदनाम व मोबाईल नं0-
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सम्पत्ति जोन-6	श्री दीनानाथ, अनुसचिव मो0 नं0-7290045027	1. श्रीमती नीलम, वरिष्ठ सहायक, 2. श्री संजीव भटनागर, वरिष्ठ लिपिक
2.	प्रवर्तन जोन-2	श्री अनिल कुमार कछेडा, सहायक अभियन्ता, मो0 नं0-7290046445	1. श्री सुनील कुमार अवर अभियन्ता, मो0 नं0-7290046488 2. श्री योगेन्द्र कुमार, अवर अभियन्ता मो0 नं0-7290008920
3	प्रवर्तन जोन-3	श्री राकेश कुमार सिंह, सहायक अभियन्ता, मो0 नं0-9582713069	1. श्री शील निधि शर्मा, अवर अभियन्ता, मो0 नं0-9927800729 2. श्री एन0के मार्केण्डेय अवर अभियन्ता, मो0 नं0-7290046779

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(कृष्णा करुणेश)  
उपाध्यक्ष

पृष्ठांकन:

/प्र0अ0का0/ आर0टी0आई0/2022

दिनांक

प्रतिलिपि:

1. प्रथम अपीलीय अधिकारी/नामित जनसूचना अधिकारियों को अनुपालनार्थ।
2. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

उपाध्यक्ष

9/3/22

गाजियाबाद।

सन्तुष्ट  
9/3/22

14/5/22